PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

# कार्यालय
# अधिशासी अभियन्ता
# पी0एम0जी0एस0वाई(सिं.ख.) रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः–1329/पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/वनभूमि दिनांक 09/09/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– **जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जाबरी से जयकण्डी मोटर मार्ग पर नव निर्माण हेतु 3.150 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/14124/2015)**

सन्दर्भ : **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक– 08बी/यू0सी0पी0/06/186/2015/एफ0सी0/262 दिनांक 24–05–2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14–03–2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गई थी। जिसके उपरान्त अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गयी थी। जिस पर आपके द्वारा आपत्ति लगायी गयी थी, आपत्तियों का निराकरण कर पुनः अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी। जिस पर आपके द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्तियां लगायी गई हैं। जिसके बिन्दु संख्या 04 के क्रम में नयी दरों/वर्तमान दरों के आधार पर एन0पी0वी0 की शेष बची हुई धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के पत्रांक– 802/12–1(2) दिनांक 06–09–2022 द्वारा अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट इस खण्ड को प्रेषित किया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त डिमांड नोट को सत्यापित करने की कृपा करें, ताकि एन0पी0वी की अवशेष धनराशि जमा की जा सके।

9/09/22

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

**पत्रांकः–1329/पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/वनभूमि/ तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि** – उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग को उनके पत्रांक– 802/12–1(2) दिनांक 06–09–2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9/09/22

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता :- माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता दि0 08-9-22 पत्रांक 1539 पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0)

# कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 802 /12-1(2) दिनांक 06/ 9 /2022::

सेवा मे

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
रुद्रप्रयाग।

विषय :- **जनपद-रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.150 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/14124/2015**

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से वांछित 06 बिन्दुओं की सूचना में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड, पौड़ी ने अपने पत्रांक-409/12-1 दिनांक 10.08.2022 के द्वारा 02 बिन्दुओं की आपत्ति लगाई गई है, जो निम्न प्रकार है-

1. बिन्दु संख्या-1 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का म्यूटेशन आदेश, तथा खतौनी से संबंधित विवरण की प्रतियों में खाता संख्या, भूमि की श्रेणी, खसरा, रकवा आदि में भिन्नता है। अतः उक्त संबंधित विवरण समस्त प्रमाण पत्रों में स्पष्ट अंकित कराते हुये मूल सहित इस कार्यालय को प्रेषित करें।
2. बिन्दु संख्या-4 के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 14.03.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें एन0पी0वी0 की धनराशि पुरानी दरों पर जमा की गई है, जबकि ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 19.01.2022 से जारी दिशा-निर्देश में ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06 जनवरी 2017 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा दिनांक 06 जनवरी 2022 तक विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उक्त पत्र से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विषयगत प्रकरण में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | ईको-क्लास श्रेणी | = | V th |
| 2. | हरियाली का घनत्व (प्रतिशत) | = | 0.30 |
| 3. | एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0) | = | 1005210.00 |
| 4. | आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0) | = | 3.150 |
| 5. | कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये) | = | 3166412.00 |
| 6. | पूर्व में जमा की गई एन0पी0वी0 धनराशि (रुपये) | = | -2069550.00 |
| 7. | **वर्तमान में देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)** | - | **1096862.00** |

**(3166412.00-2069550.00)** **(दस लाख, छियान्नबे हजार, आठ सौ बासठ) मात्र**

JE(T) 8/09 EE

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित की गई धनराशि को उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् धनराशि कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त भारत सरकार स्तर से वांछित छः बिन्दुओं में से 02 बिन्दुओं की संशोधित सूचना कॉलमवार/बिन्दुवार मय संलग्नक (01 मूल + 03 कलर प्रति) चार प्रतियों में शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में चाही गई सूचना अग्रेसित की जा सके।

भवदीय

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

क्रमशः-2 पर

संख्या– /दिनांकित।

**प्रतिलिपि 1:–** अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि 2:–** वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 186 / 2015 / एफ.सी. / 262 दिनांक: 24 / 05 / 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**विषय : जनपद– रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जावरीसे जयकण्डी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.15 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/Road/14124/2015)**

**सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 2175/ FP/UK/Road/14124/2015 दिनांक 11-03-2022 (Online uploaded on 17-05-2022)**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.03.2016 द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी अनुपालना आख्या राज्य सरकार के पत्र दिनांक 18.04.2017 एवं सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। जिसके अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पाई है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नॉकित बिन्दुओं पर अभिलेख / दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें –

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 1 के सापेक्ष में सी.ए. हेतु चयनित क्षेत्र का वन विभाग के पक्ष में दिनांक 04.06.2021 का mutation प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है किन्तु प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि दिनांक 04.06.2021 का स्पष्ट mutation प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. राज्य सरकार से अनुरोध है कि खतौनी की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन / संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।
4. राज्य सरकार द्वारा एन0पी0वी0 पुरानी दरों के आधार पर धनराशि रू0 20,69,550 / – जमा की गयी है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नई दरों / वर्तमान दरों के आधार पर एन0पी0वी0 की शेष बची धनराशि को कैम्पा कोष में जमा करने का कष्ट करें।
5. राज्य सरकार धनराशि रू0 14,50,900 [illegible] अनुमोदित सी.ए. स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

6. राज्य सरकार इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.04.2017 के उल्लेखित बिन्दु सं0 2 के सापेक्ष में 6.30 हे0 सी.ए. क्षेत्र हेतु संशोधित के0एम0एल0 फाईल सी.डी. में इस कार्यालय मे प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

24.8.22

**(सन्नी गोयल)**
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

**(सन्नी गोयल)**
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)